कार्य का नाम :- वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद भोगांव मार्ग (राज्य मार्ग संख्या -84) के चैनेज 0.000 से 11.500,13.500 से 16.800, 18.200 से 21.000 (कुल लंबाई 17.600 किमी) एवं ग्राम अरांव (2.50 किमी) ,ग्राम भारौल (1.70 किमी) में बाईपास मार्ग (मार्ग की कुल लंबाई 21.80 किमी) का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाली संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु आवेदन

प्रस्तावक क नाम :- प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग , फिरोज़ाबाद

प्रस्ताव संख्या:- FP/UP/ROAD/24640/2017

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल :- 26.143158 हेक्टेयर

योजना का उद्देश्य

उपरोक्त कार्य का विस्तृत आगणन शासनादेश संख्या 37/2017/11E/23-11–2017- 1/2 (51) /2016 दिनांक 02 -01 -2017 के अनुपालन में गठित किया गया है ।
यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या -2 (दिल्ली कोलकत्ता मार्ग) पर किमी 260 में स्थित शिकोहाबाद आबादी से प्रारम्भ होकर मैनपुरी में राज्य मार्ग संख्या - 83 (इटावा -मैनपुरी -कुरावली चार लेन मार्ग) को क्रॉस करते हुए भोगांव में राष्ट्रीय मार्ग संख्या -11(दिल्ली - कानपूर मार्ग) पर किमी 266 में मिलता है ।मार्ग के चैनेज 0.000 से 21.000 (लम्बाई 21.00 किमी) तक का भाग लोक निर्माण विभाग फ़िरोज़ाबाद के अंतर्गत आता है ।
आगरा से लखनऊ ,कानपूर ,कन्नौज की और जाने वाला भारी यातायात इस मार्ग से होकर गुजरात है , भारी यातायात के कारण मार्ग पर जाम की स्थिति बानी रहती है अतः मार्ग को चार लेन चौड़ीकरण किये जाना जनहित मे अत्यंत आवश्यक है ।
राज्य मार्ग संख्या -84 के दोनो तरफ की पटरियों को उत्तर प्रदेशसरकार के शासनादेश संख्या 115 /XIV-331 -50 दिनांक 11 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है चूंकि मार्ग का चौड़ीकरण दांयी तथा बांयी पटरी पर किया जायेगा , निर्माण कार्य हेतु कुल आवेदित संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 26.143158 हेक्टेयर न्यूनतम है तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि मार्ग के चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध नहीं है, अतः मार्ग के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र आपेक्षित है ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
फिरोजाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फिरोजाबाद

उप प्रभागीय वनाधिकारी
फिरोजाबाद

Scanned by CamScanner